न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 97/2019

1. चमेली पत्नि भीमसिंह
2. लखन
3. मक्खन पिसरान भीमसिंह
4. राजवती
5. सुनीता
6. अनीता पुत्रीयान भीमसिंह जाति कुम्हार निवासी ग्राम डाबरा तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादीगण

दिनांक :– 24.09.2020

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नं0 226/0.02, 250/0.17, 50/1.21, 270/1/0.15, 271/1/0.03, 275/2/0.14, 276/1/0.08, 277/2/0.60, 83/0.25, 102/0.17, 123/0.53, 8/1.30, 125/0.05, 21/0.07, 64/0.13, 215/0.16, 149/0.97, 93/0.30, 124/0.44, 62/0.28, 66/0.16, 73/0.07, बांके ग्राम डाबरा तहसील पहाडी में स्थित है। जमाबन्दी में दर्ज सह–काश्तकारों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है क्योकि उनके विरूद्ध कोई दादरसी नहीं चाही गई है। वादीगण संख्या 1 लगायत 6 मृत्तक भीमसिंह के वारिसान है। जमाबन्दी में मृत्तक भीमसिंह का ही नाम दर्ज होता चला आ रहा है आराजी पूर्व में वादीगण के दादा पूरन की कब्जे काश्त की आराजी थी। जिस पर पूरन ने अपने सम्पूर्ण जीवन काल तक वहैसियत खातेदार काश्तकार की तरह

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

काश्त की और उसके मरने के बाद मुताबिक हिस्सा पिता वादीगण ने काश्त की और अब पिता वादीगण की फौती के बाद वादीगण मुताबिक हिस्सा कब्जे काश्त हैं और आज भी वादीगण का मौके पर शान्तिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा है इस प्रकार विवादित आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। आराजी मुतदाविया मद नं0 2 वाद पत्र मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी हैं जिस पर वादीगण के बुजुर्गान काश्तकारी अधिनियम के फोर्स में आने से पूर्व ही वाहैसियत खातेदार के रूप में काबिज थे आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है सबूत के तौर पर नकल खसरा चौसाला सम्वत 2010 लगायत 2013 नकल जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 , नकल जमाबन्दी सम्वत 2033 से 2035 , नकल जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 , नकल जमाबन्दी सम्वत 2062 से 2065 संलग्न है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आने के पूर्व से ही वादीगण आराजी पर काबिज काश्त है फिर भी वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जो कि खिलाफ कानून व मौका है एवं आराजी अभी भी मृत्तक भीमसिह के नाम दर्ज रिकॉर्ड होती चली आ रही है। कानूनन मृत्तक भीमसिह के नाम की जगह उसके वारिसान वादीगण संख्या 1 लगायत 6 को मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कर गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। वादीगण ने यह दावा राजस्थान सरकार के विरूद्ध पेश किया है जिसके प्रतिनिधी तहसीलदार साहब पहाडी है कानूनन तहसीलदार को दो माह का म्यादी नोटिस दिया जाना जरूरी था लेकिन मामना अरजेन्ट नेचर का होने की वजह से नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। क्योकि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार का इन्द्राज होने के कारण राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओ से वादीगण को वंचित होना पड रहा है। इसलिए वादीगण ने यह दावा पेश किया है। दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादीगण विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है और आराजी पुश्तैनी है। मुताबिक कानून वादीगण को खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में मृत्तक पिता वादीगण का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादीगण को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 09.09.2019 को वादीगण के दावें को स्वीकार करते हुये जबाब इस आशय

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

का पेश किया कि विवादित आराजी रिकॉर्ड अनुसार वादीगण की पुश्तैनी है जिस पर वादीगण से पूर्व उनके बुजुर्गान काबिज थे और अब स्वयं वादीगण मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड काबिज काश्त है। आराजी पर वादीगण के बुजुर्गान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व से ही काबिज काश्त है। कानूनन वादीगण को खातेदारी दिया जाना न्यायहित में है।

मौखिक साक्ष्य वादीगण में पी0डब्लू0 1 चमेली , पी0डब्लू02 लखन, पी0डब्लू0 3 मक्खन, पी0डब्लू0 4 राजवती , पी0डब्लू0 5 सुनीता, पी0डब्लू0 6 अनीता, के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत् 2037–40 , नकल जमाबन्दी सम्वत् 2017–20, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2033–37, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2054–57 , नकल जमाबन्दी सम्वत् 2050–53 , नकल जमाबन्दी सम्वत् 2037–40 , नकल जमाबन्दी सम्वत् 2026–29, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2025–28, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2017–20, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2021–24 नकल पेश है।।

बहस में वकील वादीगण ने निवेदन किया कि विवादित आराजी बांके ग्राम डाबरा तहसील पहाडी में स्थित है आराजी हमारे बुर्जुगान की पुश्तैनी आराजी है जिस पर बुर्जुगान अपने जीवन काल तक काश्त करते रहे और उनके मरने के बाद हम वादीगण का मुताबिक हिस्सा आराजी पर कब्जा व काश्त है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में हम वादीगण पिता/पति को खातेदार के स्थान पर गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जो खिलाफ कानून व मौका है। आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के फोर्स में आने से पूर्व ही वादीगण के बुर्जगान आराजी पर काश्त करते रहे और अब मौके पर वादीगण का निरन्तर रूप से वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में कब्जा व काश्त है। उक्त आराजी के संबन्ध में राजस्व रिकार्ड में हो रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उक्त आराजी पर वादीगण को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। दावे के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी0 2007(1) पेज संख्या 599 पेश है। इसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2015 धारा 15 ए,230 खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना यदि किसी मामले में व्यक्ति का नाम अधिनियम के लागू होने समय जमाबन्दी के खातेदार उपखातेदार या मौरोसी , खातेदार के रूप में दर्ज है तो वह धारा 15 ए (3) के अन्तर्गत स्वतः खातेदार अधिकार प्राप्त कर लेगा। निवेदन है कि दावा वादीगण डिक्री फरमाया जावे।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार पहाडी के

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

जबाब एवं वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का भी अवलोकन किया। तहसीलदार पहाडी द्वारा अपने जबाब में अंकित किया है कि आराजी वादीगण के बुर्जुगान की होना स्वीकार है। जो कि वादीगण की पैत्रिक आराजी है। जो रिकार्ड से साबित है आराजी पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड वादीगण के पिता/पति का नाम गैरखातेदार के रूप में चला आ रहा है। उन्हे खातेदारी दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली संलग्न रिकार्ड एवं जबाब तहसीलदार से आराजी वादीगण की पुश्तैनी होना एवं आराजी पर वादीगण का कब्जा व काश्त है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण काबिले डिक्री के है।

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। वादीगण को आराजी खसरा नं0 226/0.02, 250/0.17, 50/1.21, 270/1/0.15, 271/1/0.03, 275/2/0.14, 276/1/0.08, 277/2/0.60, 83/0.25, 102/0.17, 123/0.53, 8/1.30, 125/0.05, 21/0.07, 64/0.13, 215/0.16, 149/0.97, 93/0.30, 124/0.44, 62/0.28, 66/0.16, 73/0.07, बांके ग्राम डाबरा तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्राथमिक डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 97/2019

1. चमेली पत्नि भीमसिंह
2. लखन
3. मक्खन पिसरान भीमसिंह
4. राजवती
5. सुनीता
6. अनीता पुत्रीयान भीमसिंह जाति कुम्हार निवासी ग्राम डाबरा तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस0 .....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील XXXX उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। वादीगण को आराजी खसरा नं0 226/0.02, 250/0.17, 50/1.21, 270/1/0.15, 271/1/0.03, 275/2/0.14, 276/1/0.08, 277/2/0.60, 83/0.25, 102/0.17, 123/0.53, 8/1.30, 125/0.05, 21/0.07, 64/0.13, 215/0.16, 149/0.97, 93/0.30, 124/0.44, 62/0.28, 66/0.16, 73/0.07, बांके ग्राम डाबरा तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।

आज ..... X ..... मुबलिग ..... X .....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ..... X ..... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी ..... X .....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.09 सन् 2020को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत .....

ओहदा उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (भरतपुर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक ...		
मीजान	4.00		मीजान		

Scanned with OKEN Scanner